

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम- मण्डावर (दौसा)

मु.नं- 39/21(वि.वि.घ) जनमान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर बनाम पटवारी हल्का गढहिम्मतसिंह  
भू-राजस्व अधि० 1956 की धारा 131, 132 व राज. भू. नियम 1957 की धारा 58, 59, 60, 66 एवं 86

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज

नम्बर व  
तारीख  
अहकाम  
जो इस  
हुकम की  
तारीख में  
जारी हुए

4-01-22 प्रार्थी तहसीलदार मण्डावर के द्वारा राजस्व ग्राम गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर के सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 722 रकबा 0.92 हैक्टे. किरम बंजड सम्पूर्ण भूमि में से मौके पर जा रहे चालू रास्ते जो ग्राम गढहिम्मतसिंह एवं ग्राम मण्डपुरा की सीमा को जोड़ता है, का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 का गय दस्तावेजात् नकल जमाबंदी, नकल नक्शा, मौके रिपोर्ट पटवारी हल्का गढहिम्मतसिंह एवं भू.अ.नि. मण्डावर एवं परिशिष्ट-ए एवं अभिशंषा तहसीलदार मण्डावर प्रस्तुत करने पर पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 कैम्प गढहिम्मतसिंह में पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाये।

तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित रास्ते की भूमि सार्वजनिक उपयोग में आ रही है एवं मौके पर डामर सडक बनी हुई। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में बंजड दर्ज है। इसलिये राजस्व रिकॉर्ड में गै० मु० रास्ता आमजन हित में दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का गढहिम्मतसिंह तहसीलदार मण्डावर व अन्य संलग्न दस्तावेजात् व सुसंगत विधि प्रावधानों का अवलोकन किया गया। जिसमें उपरोक्त वर्णित बंजड भूमि के मौके पर संलग्न प्रस्तावित नक्शे के आमजन आवागमन हेतु रास्ता चालू है। इस प्रकार यह प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 स्वीकार किया जाता है। उक्त विवरण के संलग्न रिपोर्ट नक्शा के राजस्व रिकॉर्ड में से गै० मु० रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र० सं०	नाम ग्राम	खं नं	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा जो मौके पर चालू है।
01	गढहिम्मतसिंह	722	0.92	बंजड	0.92

तहसीलदार मण्डावर उपरोक्त विवरण के संलग्न रिपोर्ट नक्शा लाल स्याही से प्रस्तावित रकबे को गै०मु० रास्ता दर्ज तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में अमल परामद करे। खातेदारी यथावत रहेगी। रिपोर्ट पटवारी हल्का, तहसीलदार/नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा। तहरीर जारी हो।